फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री अर्जुन सिंह पिता श्री फतेहसिंह सोलंकी नि0 107, केवल कॉम्पलेक्स नवागाम डीन्डोली रोड़ उधना सूरत (गुजरात) **— अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कुंभलगढ़ **— प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा — अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 98/2024**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 10.12..2024 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कुंभलगढ़ से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कुंभलगढ़ से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कुंभलगढ़ से जरिये पत्र क्रमांक/सू.का अधि.05/2024/1792 दिनांक 22.11.2024 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के अंतर्गत एक अपील प्रस्तुत कर अंकित किया है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना प्राप्त करने हेतु धारा 6(1) के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पर प्रत्यर्थी द्वारा प्रार्थी को नियमानुसार वांछित प्रतिलिपि डाक द्वारा भिजवा दी गयी है तथा अपीलार्थी को भी जरिये रजिस्टर्ड पत्र से जवाब की हूबहू प्रति इस कार्यालय के पत्रांक 1637 दिनांक 07.10.2024 के द्वारा भिजवा गयी है लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कुंभलगढ़ कि रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कुंभलगढ़ की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गयी वांछित सूचना कार्यालय के पत्रांक 1637 दिनांक 07.10.2024 के द्वारा भिजवा दी जाने से अपील को खारिज किया जाता है निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी कुंभलगढ़ को भिजवायी जावे। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** 10/12/24 **लोक सूचना अपीलीय अधिकारी** **(जिला कलक्टर) राजसमंद**	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)